UPGK010016272026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 796/2026

साजिदा खातून पत्नी स्व० आखिक अली, निवासी ग्राम- सतौरा सतौजी, थाना- सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर। ....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 476/2025
अंतर्गत धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०
थाना- खजनी, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 23.03.2026

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 476/2025, अंतर्गत धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना- खजनी, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के गांव से कुछ दूरी पर ग्राम रातोरा का रहने वाला आशिक अली अपने रिश्तेदार जावेद उर्फ सोनू के साथ मिलकर जमीन खरीदने व बेचने का कारोबार कर रहे थे। आशिक अली की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी साजिदा खातून अपने रिश्तेदार उक्त जावेद के साथ मिलकर यह काम कर रही है। उक्त दोनों लोग काफी दबंगई से बहुत से लोगों की जमीन व रूपया हड़प चुके है तथा जान से मारने की धमकी व मुकदमे में फंसा दिये जाने की धमकी भी उक्त लोगों द्वारा दी जाती है। साजिदा खातून व आसिमा खातून ने मिलकर दिनांक 23.01.2021 को रामप्रभाव सिंह व रणविजय सिंह को 35.5 डिसमिल जमीन कुई, खजनी जिला गोरखपुर का बैनामा कराया। इस जमीन में साजिदा खातून का आधा हिस्सा आता है। उक्त जमीन को साजिदा खातून द्वारा विभिन्न तिथियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वादिनी मुकदमा के अलावा पांच अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर मु० 39,80,000/-रूपया प्राप्त कर लिया गया। उक्त साजिदा खातून द्वारा 17.75 डिसमिल जमीन क्रय करके छल व धोखा देकर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर 49.50 डिसमिल जमीन विक्रय कर दी गयी।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाया गया अभियोग असत्य एवं निराधार है। प्रार्थिनी को मात्र रंजिशन वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमें में फर्जी अभियुक्त बना दिया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से यानि पौने पांच वर्ष बाद दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण प्राथमिकी में नही दर्ज करायी गयी है। प्रार्थिनी द्वारा अपने हक व हिस्से के अनुसार ही बैनामा किया गया है लेकिन वादिनी मुकदमा का यह कर्तव्य बनता है कि जमीन खरीदने से पूर्व सरकारी अभिलेखो का मुआयना करके ही बैनामा लेना चाहिये लेकिन वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं क्रय की हुयी जमीन से अधिक कब्जा करना चाहती थी। ऐसा न कर पाने के कारण उक्त मुकदमा मात्र हैरान व परेशान करने के लिये न्यायालय द्वारा अंकित कराया गया है। प्रार्थिनी गवार एवं अनपढ़ महिला है। प्रार्थिनी द्वारा अपने हिस्से की जमीन कई किश्तो में कई लोगो को किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं के बावत प्रार्थिनी द्वारा उसके साथ क्या छल कपट एवं धोखा किया गया इस बात का भी तस्कीरा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है बल्कि वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं को बावत डिमाण्ड न करके प्राथमिकी में कई लोगो के नाम बैनामा करने के बावत उल्लेख किया गया है। यही पर यह भी ध्यान आकृष्ट करना है कि वादिनी मुकदमा द्वारा जो प्रार्थिनी से बैनामा लिया गया है वह मात्र 162.08 वर्गमीटर बताया गया है जिसकी कीमत 20000/- रूपये दर्शाया गया है, इसका भी कोई विक्रय विलेख की कापी अभी तक विवेचक को सुपुर्द नहीं किया गया है। न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पीड़ित व्यक्ति स्वयं के बावत ही न्यायालय में कोई याचना कर सकता है न कि पूरे तहसील के व्यक्तियों के बावत बिना उनकी सहमति के। न्यायालय के आदेश पर धारा 419, 420, 506 भा०द०वि० के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, लेकिन दौरान विवेचना विवेचक द्वारा 467, 468, 471 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी की गयी हैं। यही पर ध्यान आकृष्ट कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ न तो किसी प्रकार का छल के प्रयोजन के लिये कूटरचना किया गया है और न ही कूटरचित दस्तावेज ही प्रार्थिनी द्वारा तैयार किया गया है। प्रार्थिनी को थाना खजनी की पुलिस गिरफ्तारी करने के लिये दबिश दे रही है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थिनी को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। जिससे प्रार्थिनी उक्त मुकदमें के विवेचनाधिकारी को वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप के विरूद्ध अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर विवेचना में सहयोग प्रदान कर सके। प्रार्थिनी का विगत कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण से साथ मिलकर उसके पक्ष में अंतरित भूमि से कही अधिक भूमि छल व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादिनी मुकदमा एवं अन्य व्यक्तियों के नाम अंतरित कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है जिसके

कारण अभियुक्ता अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वंय के हिस्से की 17.75 डिसमिल भूमि की स्वामिनी होते हुए उक्त भूमि 17.75 डिसमिल के स्थान पर छल एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वादिनी मुकदमा एवं अन्य व्यक्तियों के नाम 45.50 डिसमिल भूमि अंतरित कर मु० 39,80,000/- रूपये हड़पने का अभियोग है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है। केस डायरी में अंकित वादी मुकदमा एवं अन्य स्वतंत्र गवाहों के अनुसार उनके द्वारा अपने उक्त बयानों प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता की संलिप्तता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा अब तक की विवेचना में संकलित साक्ष्य से मामले में आवेदिका/अभियुक्ता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रकट होती है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अभिकथित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता साजिदा खातून द्वारा मु०अ०सं०- 476/2025, अंतर्गत धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना- खजनी, जनपद- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 23.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.23 16:10:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court